

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक- वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ 1646 /2022 दिनांक:- नवम्बर, 01 ,2022

--:आदेश:-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह दिसम्बर-2022 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है -

क्रम संख्या	बैठने का स्थान	कार्य-अवधि
1	पीठ-1 लखनऊ	दिनांक- 01.12.2022 से 02.12.2022 तक दिनांक- 12.12.2022 से 16.12.2022 तक
2	पीठ-1 आगरा	दिनांक- 05.12.2022 से 08.12.2022 तक
3	पीठ- मुजफ्फरनगर	दिनांक- 26.12.2022 से 30.12.2022 तक
4	पीठ-1 कानपुर	दिनांक- 26.12.2022 से 30.12.2022 तक
5	पीठ-1 वाराणसी	दिनांक- 05.12.2022 से 09.12.2022 तक दिनांक- 26.12.2022 से 30.12.2022 तक
6	पीठ-1 गाजियाबाद	दिनांक- 19.12.2022 से 23.12.2022 तक दिनांक- 26.12.2022 से 30.12.2022 तक
7	पीठ-1 नोएडा	दिनांक- 05.12.2022 से 09.12.2022 तक दिनांक- 12.12.2022 से 16.12.2022 तक
8	पीठ-1 मेरठ	दिनांक- 19.12.2022 से 21.12.2022 तक
9	पीठ- सहारनपुर	दिनांक- 12.12.2022 से 13.12.2022 तक
10	पीठ- बरेली	दिनांक- 26.12.2022 से 28.12.2022 तक
11	पीठ-1 इलाहाबाद	दिनांक- 05.12.2022 से 09.12.2022 तक
12	पीठ- गोरखपुर	दिनांक- 01.12.2022 से 02.12.2022 तक

उपरोक्त गठित युगल पीठ में नामित सदस्यों सम्बंधी आदेश पृथक से जारी किया जायेगा।

(ह0 01.11.2022)

(अरविन्द मलिक)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण।

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रष्ठांकन- वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ 1646 /2022 दिनांक:उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बंधित सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण।
2. कमिश्नर वाणिज्य कर, लखनऊ।
3. मुन्सरिम/ पेशकार/वरिष्ठ सहायक(यात्रा भता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
4. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/ सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।